

TRN. 187
30-9-16

विशेष मुद्रा जाफिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- पीए/आदेश/के-85/2016-17/1948

दिनांक:- 30.10

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.)
आन्ध्र प्रदेश, शेफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004

महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय
Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
14 SEP 2016
No. 19157997
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना,
Pradesh & Telangana,
500 004.

19157997
12/9

विषय:- राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट 6 (पब्लिक सैक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम) में संशोधन ।

pen

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (बीमा एवं पेंशन) ने सं. एफ.10(5) एफ.डी./राजस्व/2010 दिनांक 30.06.2016 द्वारा पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन भुगतान हेतु प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किये है । अतः पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन शुरू करने हेतु निर्देश एवं निर्धारित आवेदन पत्र की प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश एवं परिशिष्ट 3 व 5 आपके श्रेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों/बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।
संलग्न:- (3)

भवदीय

OGP

व.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

449152

26/9/16